STATE GOVT. OF UTTAR PRADESH

925

श्री के0जी0 बालाकृष्णन, मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 04.05.2011 के क्रम में प्रेषित किए जाने वाली आख्या-

क0सं0	आ0 न0	मा0 आयोग का अभिमत	अनुपालन आख्या
1	3	Training of Officials-A 3-tier training programme for for police and civil functionaries engaged in the implementation of laws and regulatory measures, which have a bearing on atrocities committed on SCs, may be implemented. The first tier of training may be imparted by National Police Academy and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration to cover only trainers from each State. The second tier training may be organized by State Training Institution identified for this purpose by each State Government to cover officers of level of DSPs, SDM,s ADM,s etc. The third tier of training would deat with other civil and police officers at the lower level. This training may be organized by the DMs and SPs of the concerned Districts. The design and syllabi of training for the three training courses may be approved by the National Human Rights Commission.	समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मानवाधिकार के अधिकारों के उल्लंघन एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए तृतीय स्तर पर गृह विभाग की विशेष जॉच प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

4	5	State level and district level vigilance and monitoring committee may meet regularly as per prescribed provisions .Human right organizations and activist working for and with schedule castes may be involved in their deliberations as member/ invitees .Their proceedings may be adequately publicize and also placed on the website of the state governments NHRC may suggest that state home minister and SC welfare minister may jointly hold an annual meeting of heads of District vigilance committee .This would activate their functioning and provide them necessary guidence.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के सैक्सन 15 A(2) (iv) तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सेक्सन 21 (2)(v) एवं तद्विषयक नियमावली 1995 के नियम 16 एवं 17 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 3008/26–3–2007–4(126)/2006 दिनांक 17–08–2007 द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2011–12 में उक्त समिति की बैठक दिनांक 03 जून,2011 को प्रथम छमाही में सम्पन्न हो चुकी है। इसी प्रकार जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठके जनपद स्तर पर सम्पन्न हो रही है। कैलेण्डर वर्ष 2009 में जनपद स्तरीय 239 बैठके तथा कैलेण्डर वर्ष 2010 की प्रथम छमाही की उपलब्ध सूचनानुसार 116 बैठके सम्पन्न हुई है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1550/26–3–2011 दिनांक 09 जून,2011 द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला सतरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
7	10.3	states may be directed by national human right commission to make the district magistrate solely responsible for ensuring that the compensation money	उत्पीड़न से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 4578/26–3–95–4(256)/94 दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 द्वारा उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराध की प्रकृति के अनुसार अनुमन्य

		given to the victims is effectively utilize to provide sustainable rehabilitation. The parameters of such rehabilitations may be laid down in the mutual, state and district level monitoring and vigilance committees may monitor the status of rehabilitation.	सहायता राशि का निर्धारण करते हुए विस्तृत निर्देश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को जारी किये जा चुके हैं, जिसमें आर्थिक सहायता की दरें एवं प्रकिया का उल्लेख किया गया है। इस आशय के कड़े निर्देश जारी किये गये है कि उत्पीड़न की घटना के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से सहायता राशि तत्काल स्वीकृत कराकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें। इस आशय के भी निर्देश दिये गये हैं कि बजट उपलब्ध न होने की दशा में टी0आर0–27 के अर्न्तगत धनराशि आहरित कर सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाय। जनपद स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्रकरणों का सतत पर्यवेक्षण किया जाता है।
8	10.4	Appropriate instructions may be issued by NHRC that value of property destroyed in the course of atrocities committed against Scheduled caste is included in the compensation package provided to them	अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,1995 में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को क्षति पहुँचाने, सदोष भूमि अभियोग में लेने या उस पर कृषि करने, पानी गन्दा करने, मकान नष्ट होने अथवा जलने आदि, आर्थिक क्षतिपरक प्रकरणों में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का विनिर्धारण करते हुए इसके भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 की धारा 15(1) के अंतर्गत आदर्श आकस्किता योजना जारी किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें पुनर्वास पैकेज भी सम्मिलित है।
11	17	state government may notify a lady officer from among the staff	इस संबंध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2506/26–3–2011, दिनांक ....अगस्त, 2011 के माध्यम से ब्लाक स्तर पर तैनात बाल

		posted in each block, such as social welfare officer or women & child development officer to entertain complaints regarding the ill- treatment of and violence committed against SC women and registered by the complaint authority and officially pass it on to the concerned authority with a copy to the District Magistrate for taking up necessary investigation. this arrangement may be adequately publicized in SC habitations of the block.	विकास परियोजना अधिकारी को नामित किया गया है और जिन ब्लाकों में बाल विकास अधिकारी परियोजना के पद पर महिलायें तैनात नहीं हैं, उन ब्लाकों में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर तैनात किसी महिला अधिकारी को इस हेतु अपने स्तर से नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।
17	25	in respect of district which have sizable SC population ,District Magistrate shall create a cell in his office headed by the DSWO looking after the interest of SC's the information about SC's in police and judicial custody should be maintained there. On demand made by human right organization/ social activist / SC organization ,information in respect of SC's in custody may be provided to enable them to take up the matter in appropriate fora for seeking relief admissible under the law.	जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति जिसमें सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं. तथा जनपद के माननीय सांसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्य, पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित राज्य सरकार के 03 समूह–क के अधिकारी/ राजपत्रित अधिकारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिक से अधिक पॉच गैर सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति से भिन्न प्रवर्ग के गैर सरकारी संगठनों से सम्बद्ध तीन सदस्य होते है, द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों से सम्बन्धित उत्पीड़न एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों पर अनुतोष दिये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया जाता है।
18	30	All relevant information's on SC's relating to atrocities, reservation.	समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं यथा–छात्रवृत्ति, पेंशन,शादी बीमारी

		development, including findings of enquiry reports, if any, should be placed on the website of the ministry of social justice and empowerment for greater transparency and wide accessibility. The material to be placed on the website of the state should include, in addition to the above ,findings of enquiry ordered in respect of specific incidents, proceedings of state level vigilance and monitoring committees, etc .A non official group of persons interested in problems of SC's may be constituted at the state and central level to regularly report on the material placed on the website, its shortcomings, what additional material can be brougt on it, etc, it would be desirable for NHRC to institutionalize this arrangement for ensuring greater transparency of information relating to SC's.	हेतु अनुदान, उत्पीड़न से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावास आदि से सम्बन्धित सूचनायें एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध रहती है। छात्रवृत्ति एवं पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खातों में सीधे प्रेषित किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रकिया का एन0आइ0सी0 के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण कराते हुए बेवसाइट पर डाला जा चुका है। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में भविष्य में प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुरूप अन्य आवश्यक कार्यवाहियॉं की जायेगी।

26	65	Enforcement of various labour Laws, such as those relating to bonded labour system, minimum wages, equal remuneration, child labour, inter-state migrant labour, which have a beating on the violence committed against the Scheduled Castes needs to be assigned high priority. The performance should also be intensively monitored at the Central, State and District level. Ministry of Social Justice and Empowerment should associate itself with such monitoring at the central level, if it is already being done by Ministry of Labour, particularly in respect of atrocities prone States. State Secretaries in charge of SC welfare should do likewise in respect of atrocities prone districts/areas in their States.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर घटित उत्पीड़न के अपराधों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व नियम 1995 में निहित प्राविधानों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के जनपदों को अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर शासन/प्रशासन द्वारा निर्देश निर्गत किए जाते रहते हैं।
37	101	In cases where non-Scheduled Caste persons have encroached upon the land which are owned/ cultivated by members of SCs, action may be taken to restore these lands to them. In case of litigation, either the State Government should fight out the case or provide legal aid to affected SCs.	इस संदर्भ में जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/ जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की जाती है।

43	III	Social welfare departments of state governments may make institutional arrangements within their organization to look after the needs and problems of DNTs, the way government of Maharashtra has done. Ministry of social justice and empowerments may persue the matter with concerned state governments. Ministry of social justice and empowerment like wise should create a cell to co ordinate this work as a nodal agency at the central level.	समाज कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं:- 1- विमुक्त जातियों के शैक्षिक,आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु कल्याणपुर (कानपुर), फजलगंज (मुरादाबाद),साहबगंज (लखीमपुर खीरी)में कालोनी बनाकर तथा रोजगार एवं खेतीबाड़ी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है। 2-इन जातियों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु कक्षा 1 से 12 तक के लिए 09 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक की क्षमता 480 छात्रों की है। यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन,, वस्त्र,स्टेशनरी एवं औषधि, खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है। 3- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से भी इनके लिए 03 आश्रम पद्धति विद्यालय, इलाहाबाद,लखनऊ एवं सहारनपुर में संचालित किये जा रहे है। 4- विमुक्त जाति हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लालगंज(प्रतापगढ़) में चलाया जा रहा है, जिसमें हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की सिलाई,बुनाई एवं हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है। 5- विमुक्त जाति के कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विमुक्त जाति की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निदान हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनायी गयी कार्यशैली की जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है. यदि इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश/सुझाव जारी किया जाता है तो भारत सरकार की आर्थिक सहभागिता के आधार पर,संगठन की उपलब्धता पर इसे क्रियान्वित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।